कार्यालय आदर्श नगर पंचायत रामकोला
जनपद-कुशीनगर

प्रत्रांक.1891(iii)../न.प.रा./2017-18 दिनांक...29-3-18

सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत रामकोला जनपद–कुशीनगर की निलामी वर्ष–2018–19 यानि (01–04–2018 से 31–03–2019) तक प्राइवेट बस एवं टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली हेतू खुली बोली के रूप में निलामी दिनांक 03.04.2018 को समय दोपहर 12 बजे नगर पंचायत कार्यालय के मिटिंग हाल मे कराई जायेगी, खुली बोली मे वही व्यक्ति भाग ले सकता है जिसके पास जमानत धनराशि का टोकन होगा, शेष नियम व शर्ते विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से किसी भी कार्य दिवस मे देखी जा सकती है, यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि दिनांक 03.04.2018 को खुली बोली नही होती है, तो अगले कार्यालय दिवस दिनांक 04.04.2018 को समय दोपहर 12 बजे खुली बोली कराई जायेगी। शेष नियम व शर्ते पुर्ववत रहेंगी।

नियम एवं शर्ते

1– वे सभी व्यक्ति एवं फर्म बोली में भाग ले सकते है जो भारतीय गणराज्य के निवासी है । किन्तु उन्हें निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

2– बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हैसियत एवं चरित्र प्रमाण तथा आयकर एवं व्यापार कर रजिस्टेशन पत्र के साथ ही भाग ले सकते है ।

3– नगर पंचायत के किसी भी प्रकार का बकायेदार बोली में तब तक भाग नही ले सकता है जब तक अपने द्वारा बकाया धनराशि जमा न कर दें ।

4– बोली में भाग लेने से पूर्व बोलीदात को निर्धारित जमानत धनराशि एवं निर्धारित प्रपत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।

5– बोली/नीलामी समाप्त होने के पश्चात तत्काल सर्वाधिक बोली बोलने वाले को निलामी का समस्त धनराशि का 1/2 भाग तत्काल जमा करना तथा शेष 1/2 भाग धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा ।

6– अधिकतम बोलीदाता जिसके पक्ष में नीलामी समाप्त की गयी है समस्त नीलामी धनराशि का 1/2 भाग जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय वरीयता के बोलीदाता को नीलामी दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

7– नीलामी/बोली समाप्ति के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय वरीयता के बोलीदाता को छोड़कर शेष समस्त बोलीदातों को जमानत की धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी ।

8– नीलामी/बोलीदाता को स्टैम्प एक्ट के अनुसार निर्धारित दर के स्टैम्प पर अपने व्यय से अनुबन्ध पत्र लिखकर देना होगा । अनुबन्ध के बाद ही वसूली का हकदार होगा ।

9– नीलामी/बोलीदाता को शुल्कों की वसूली नगर पंचायत द्वारा निर्धारित दरों एवं नियमो के अनुसार करनी होगी इसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर जॉच के उपरान्त ठेका/लाइसेन्स निरस्त किया जा सकता है ।

10–ठेकेदार/लाइसेन्सी को शासन/जिलाधिकारी महोदय/नगर पंचायत द्वारा जारी समय–समय के आदेशो/निर्देशों का पालन करना होगा ।

11–वे सभी व्यक्ति एवं फर्म को उसी दिन दिनॉक–03–04–18 को 11.30 बजे से पहले अपना चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड सेल टैक्स रजिस्टेशन की छाया प्रति तथा जमानत की धनराशि जमा करके बोली में भाग लेने हेतू अनमुमति पत्र प्राप्त कर लें।

12–बोलीदाता/लाइसेन्सी को वसूली में कमी–अधिक अथवा कतिपय अन्य कारणों से हुई क्षति की पूर्ति करने का दायित्व नगर पंचायत पर नही होगा । वरन् किसी बहाने छूट आदि देने का कोई प्राविधान नही होगा ।

13–यदि अधोहस्ताक्षरी के विचार में यह बात आ जाती है कि बोली बोलने वाले व्यक्तियों ने आपस में तालमेल बना लिया है और स्टैण्ड का उचित मूल्य नही मिल पा रहा है । तो ऐसी दशा में नीलामी निरस्त की जा सकती है ।

14–अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि बिना कारण बताये बोली/नीलामी को निरस्त/स्थगित कर सकते है तथा शर्तो एवं नियमो में शिथिलता प्रदान कर सकते है ।

विवरण नीलामी/ठेका

कमाक	नीलामी का विवरण	जमानत धनराशि	ठेका/लाइसेन्स की धनराशि जमा करने का विवरण
01	प्राइवेट बस एवं टैक्सी स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली का ठेका/लाइसेन्स	100000.00	अंतिम बोली का 1/2 भाग धनराशि तत्काल जमा करना होगा

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिलाधिकारी,कुशीनगर ।

2–अपर जिलाधिकारी,कुशीनगर ।

3–उप जिलाधिकारी कप्तानगंज,कुशीनगर ।

4–प्रभारी अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति को अपने बेवसाइट पर सन्दर्भित कर लें ।

5–कार्यालय के बेवसाइट www.npramkola.in पर अपलोड करने हेतु।

5–कार्यालय नगर पंचायत रामकोला के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

6–विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केशरी, स्वतन्त्र चेतना, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की चार प्रतियों के साथ भुगतान हेतू बिल प्रस्तुत करें ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रामकोला
कुशीनगर

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रामकोला
कुशीनगर

रमिता देवी
अध्यक्ष
नगर पंचायत रामकोला
कुशीनगर

अध्यक्ष
नगर पंचायत रामकोला
कुशीनगर